कि.एस. गाड़ेवाल जे. और प्रीतम पाल जे. के समक्ष

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड - अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती उर्मिला और अन्य - उत्तरदाताओ

एफ़.ए.ओ. 2006 का संक्य 856

10 फ़रवरी, 2006

मोटर वाहन अधिनियम, 1988–धारा 134(सी) और 149(2)–बिक्री के उद्देश्य से किसी गांव से जानवरों को ले जाने के लिए वाहन को किराये पर लेना–जब वाहन जानवरों को बेचकर गांव लौट रहा था तब दुर्घटना होना–किराएदार की मृत्यु– क्या मालवाहक वाहन में यात्रा करने को अनाधिकृत/अनावश्यक यात्री कहा जा सकता है - अभिनिर्णित, नहीं - बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं है जब तक कि माल का मालिक उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसने बीमाकृत वाहन किराए पर लिया था - बीमाकर्ता की अपील खारिज।

अभिनिर्णित, यह स्वीकार किया गया कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा वाहन का विधिवत बीमा कराया गया था। फ़ाइल में यह भी अच्छी तरह से साबित है कि घटना के समय अपराधी वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। फ़ाइल में यह स्पष्ट है, बल्कि एक स्वीकृत तथ्य है, कि दिलबाग सिंह (मृतक के बाद से) ने जयपुर में पशु हटवाड़ा को बेचने के उद्देश्य से अपने जानवरों को ले जाने के लिए अपने गांव काब्जा नगर, तहसील दादरी, जिला भिवानी से आपत्तिजनक वाहन किराए पर लिया था। और घटना वाले दिन वह अपने जानवर बेचकर उसी वाहन से अपने गांव लौट रहा था तभी उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपीलकर्ता द्वारा कहीं भी यह दलील या साबित नहीं किया गया है कि सामान/जानवरों को बेचने के बाद उसके मालिक की वापसी यात्रा, बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होगी, खासकर जब सामान का मालिक आ रहा हो। वह स्थान जहां से उसने ऐसे मालवाहक वाहन किराए पर लिए थे। फ़ाइल में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दुर्घटना के दिन, मृतक दिलबाग सिंह, अपने जानवरों को बेचने के बाद, अपने गाँव लौट रहा था जहाँ से उसने उपरोक्त आक्रामक वाहन को किराए पर लिया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी सुविचारित राय है कि दिलबाग सिंह (मृतक) को बीमाकृत वाहन में तब तक अनधिकृत/अनावश्यक यात्री नहीं कहा जा सकता जब तक वह उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसने बीमाकृत वाहन किराए पर लिया था।

(पैरा 9 और 10)

डे कि डोगरा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए - बीमा कंपनी

निर्णय

प्रीतम पाल, जे.

(1) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "बीमाकर्ता" के रूप में संदर्भित) की यह अपील, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भिवानी (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 22 सितंबर, 2005 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादी नं. दिलबाग सिंह (40 वर्ष) की मृत्यु के कारण 1 से 3 (दावेदारों) को 4,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया।

(2) संक्षेप में, इस अपील की शुरुआत से जुड़े तथ्यों को इस प्रकार दोहराया जा सकता है:

(3) 22 मार्च, 2003 को, दिलबाग सिंह (मृतक) ने अपने गांव कब्ज़ा नगर, तहसील दादरी से अपने जानवरों को ले जाने के लिए एक टाटा-407 वाहन किराए पर लिया था, जिसका पंजीकरण नंबर HR-61/1610 था, जिसका मालिक और चालक प्रतिवादी नंबर 4, जयबीर था। वह अपने जनवरो को जिला भिवानी, पशु हटवाड़ा, जयपुर में बेचने के लिए ले जा रहा था। अपने जानवरों को बेचने के बाद, मृतक प्रतिवादी नंबर 4, जयबीर (चालक-सह-मालिक/बीमाधारक) द्वारा चलाए जा रहे उक्त वाहन में लौट रहा था। उक्त वाहन तेजी एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था। रात्रि लगभग 9.00 बजे, जब उक्त वाहन नाई की थड़ी पशु हटवारी, पुलिस स्टेशन आमेर जयपुर के पास पहुंचा, तो जयबीर, प्रतिवादी नंबर 4 ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप, वह पलट गया और दिलबाग सिंह उन्हें कई चोटें लगीं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एफ.आई.आर. प्रतिवादी संख्या 4, वाहन का स्वामी/चालक, के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। श्रीमती विधवा उर्मिला, सुश्री अमेषा कुमारी, नाबालिग बेटी और दिलबाग सिंह (मृतक) के नाबालिग बेटे परवीन कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि दिलबाग सिंह (मृतक) की मासिक आय रु. 15,000 उन्होंने जानवरों के व्यापार के साथ-साथ अपनी कृषि आय से कमाए।

(4) नोटिस पर, प्रतिवादी नंबर 4 ने दलील दी कि दिलबाग सिंह (मृतक) की भैंसें बेचकर लौटते समय, एक नील गाय सड़क पर आ गई और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, उसने एक मोड़ लिया और इस प्रक्रिया में, वाहन का संतुलन बिगड़ गया। जिसके परिणामस्वरूप, यह गड़बड़ा गया और इस प्रकार, उसकी ओर से कोई लापरवाही और लापरवाही नहीं बरती गई।

(5) ।दूसरी ओर, अपीलकर्ता-बीमाकर्ता ने अपने लिखित बयान में दलील दी कि अपीलकर्ता की कोई देनदारी नहीं है क्योंकि बीमा पॉलिसी के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ धारा 149(2),

134(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अधिनियम के अनुसार, दुर्घटना के समय, मृतक एक मालवाहक वाहन में एक अनधिकृत/अनावश्यक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। आगे दलील दी गई कि चूंकि दुर्घटना के समय मृतक अब सामान का मालिक नहीं था और बीमा पॉलिसी का उल्लंघन करके यात्रा कर रहा था, इसलिए, अपीलकर्ता पर मुआवजे का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था।

विद्वान न्यायाधिकरण ने, पक्षों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे: -

"1. क्या 22 मार्च, 2003 को हुई दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 'की तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी?' 1 टाटा-407 चलाते समय पंजीकरण संख्या एचआर-61/1610; यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या होगा? ओपीपी
2. क्या याचिकाकर्ता मुआवजे की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं; यदि हां, तो कितना और किससे? ओपीपी
3. क्या वर्तमान दावा याचिका वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है? ओपीआर
4. क्या बीमाधारक ने जानबूझकर बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है? ओपीआर2
5. क्या प्रतिवादी नंबर 1 के पास दुर्घटना की तिथि पर वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था; यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या होगा? ओपीआर2
6. राहत।"

(6) साक्ष्य दर्ज करने और पक्षों के वकील को सुनने के बाद, मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्ष दावेदारों के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 4 के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ दिया गया। मुद्दा संख्या 2 के तहत, दावेदारों को कुल रुपये 4,00,000 के मुआवजे का हकदार पाया गया। अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग दावेदारों को 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,00,000 का भुगतान किया जाना है। मुद्दा क्रमांक 3 से 5 पर भी निष्कर्ष दावेदारों के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में लेकिन अपीलकर्ता के विरुद्ध लौटाए गए। अंततः, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 (दावेदारों) द्वारा दायर दावा याचिका का निर्णय ऊपर बताए अनुसार उनके पक्ष में किया गया। इस प्रकार व्यथित होकर बीमाकर्ता इस अपील में आया है।

(7) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और फ़ाइल का ध्यानपूर्वक अध्ययन भी किया है।

(8) इस अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क का एकमात्र बिंदु यह है कि चूंकि मृतक दिलबाग सिंह दुर्घटना के समय माल (जो पहले ही बेचा जा चुका था) का

मालिक नहीं था, इसलिए वह एक अनधिकृत या मुफ़्त यात्री था। इसलिए बीमाकर्ता को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले में उस पर तय दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

(9) माना जाता है कि दुर्घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा वाहन का विधिवत बीमा कराया गया था। फ़ाइल में यह भी अच्छी तरह से साबित है कि घटना के समय अपराधी वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। फ़ाइल में यह स्पष्ट है, बल्कि एक स्वीकृत तथ्य है, कि दिलबाग सिंह (मृतक के बाद से) ने जयपुर में पशु हटवाड़ा को बेचने के उद्देश्य से अपने जानवरों को ले जाने के लिए अपने गांव काब्जा नगर, तहसील दादरी, जिला भिवानी से आपत्तिजनक वाहन किराए पर लिया था। और दुर्घटना वाले दिन वह अपने पशुओं को बेचकर उसी वाहन से अपने गांव लौट रहा था तभी उक्त वाहन उसी प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपीलकर्ता द्वारा कहीं भी यह दलील या साबित नहीं किया गया है कि सामान/जानवरों को बेचने के बाद उसके मालिक की वापसी-यात्रा, बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होगी, खासकर जब सामान का मालिक आ रहा हो। वह स्थान जहाँ से उसने ऐसा माल-वाहन किराये पर लिया था।

(10) यहां, मौजूदा मामले में, यह फ़ाइल में अच्छी तरह से स्थापित है कि दुर्घटना के दिन, मृतक दिलबाग सिंह, अपने जानवरों को बेचने के बाद, अपने गांव लौट रहा था, जहां से उसने उपरोक्त आक्रामक वाहन को किराए पर लिया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी सुविचारित राय है कि दिलबाग सिंह (मृतक) को बीमाकृत वाहन में तब तक अनधिकृत/अनावश्यक यात्री नहीं कहा जा सकता जब तक वह उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसने बीमाकृत वाहन किराए पर लिया था।

(11) हमारी पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ता-बीमाकर्ता की उपरोक्त दलील में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए, वह किसी भी योग्यता से रहित है।

(12) किसी अन्य बिंदु पर आग्रह या तर्क नहीं किया गया है।

(13) इस अपील को फिलहाल खारिज किया जाता है।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक

और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा